न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –147 / 2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सोनी देवी पत्नि हुनमान राम जाति ब्राहमण निवासी पांचौडी तहसील खींवसर		1. जेठमल उर्फ जेठाराम पुत्र स्व. रामूराम जाति ब्राहमण निवासी पांचौडी तहसील खींवसर जिला नागौर 2. हनुमानराम पुत्र स्व. लूणकरण उर्फ लूणाराम जाति ब्राहमण निवासी पांचौडी तहसील खींवसर जिला नागौर 3. तहसीलदार खींवसर जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री यज्ञदत्त सारस्वत।
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल सुथार।
3. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणां।

निर्णय दिनांक : 23-08-2018

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पांचौडी तहसील खींवसर के खसरा नम्बर 88 रकबा 76 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 4 की 28 बीघा 10 बिस्वा के संबंध में म्यूटेशन संख्या 1572 जो तहसीलदार खींवसर द्वारा दिनांक 13.06.2017 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 28.12.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट गरीब अशिक्षित ग्रामीण परिवेश की महिला होने से उसे दिनांक 13.06.2017 के नामान्तरकरण संख्या 1572 तहसीलदार खींवसर द्वारा भर जाने का पता नहीं चला अपीलांट गांव से दूर ढाणीयों में रहती है। दिनांक 17.12.2017 को रेस्पो. संख्या 1 द्वारा मुझे कब्जा हटाने कि धमकी देने व वसीयत का दावा न्यायालय से उठाने की धमकी देने पर मैने पता किया तो हल्का पटवारी ने बताया कि नामान्तरकरण केवल जेठाराम व हडमान के नाम ही आधी आधी भूमि का भरा है तब मैने दिनांक 18.12.2017 को नामान्तरकरण व जमाबंदी की नकल निकलवाई, तब पता लगा कि मेरा नाम नामान्तरकरण में नहीं भरा है जमाबंदी व

कलक्टर, नागौर

नामान्तरकरण की नकल दिनांक 22.12.2017 को मिली जिस पर नागौर आकर वकीलों से राय ली तो अपील करने की सलाह दी गई दिनांक 23.12.2017 को शनिवार दिनांक 24.12.2017 को रविवार, दिनांक 25.12.2017 को किशमिशडे अवकाश होने के कारण दिनांक 26.12.2017 को सम्पूर्ण जानकारी जुटाने व अपील तैयार करवाने के बाद दिनांक 27.12.2017 को अपील पेश की है, जो अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुऐ न्यायहित में अपील अपीलांट तारीख जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री कन्हैयालाल सुथार व राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से मयाद प्रार्थना पत्र मय अपील खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर न्यायहित में सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपीलान्ट की अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया ससुर लूणाकरण एंव स्व. गंगाविशन पुत्रगण स्व. रावतराम के सह खाते में संयुक्त रूप से ग्राम पांचौडी में खसरा नम्बर 04 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 88 रकबा 125 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 57 बीघा 13 बिस्वा कुल 211 बीघा 04 बिस्वा भूमि पुरातन समय से चली आ रही है। इस प्रकार उक्त 210 बीघा 4 बिस्वा भूमि में सें 1/2 अर्द्वाश खातेदारी का स्व. लूणाकरण के निधन के बाद उनके उतराधिकारियों लूणाकरण पत्नि मोहनी, पुत्र हनुमानराम, पुत्र रामूराम तथा रामूराम के फौत होने से जेठारमल व भंवरी पुत्री तथा गंगाविशन के वारिसान जगदीश व उसके फौत होने के बाद भंवरलाल, राजूराम, पत्नि विमलादेवी हुए। उक्त खसरा नम्बर में सें खसरा नम्बर 89 की 04 बीघा भूमि स्व. गंगाविशन ने अपने जीवन काल में ही विक्रय कर दी। राजस्व रेकर्ड में स्व. लूणाकरण के वारिसान उनकी पत्नि मोहनी, हनुमानराम व रामूराम तीनों के नाम दर्ज की जानी थी लेकिन मोहनी व रामूराम के नाम भूमि दर्ज न कर केवल मात्र हनुमानराम के नाम सम्पूर्ण भूमि दर्ज कर दी गई। उक्त 105 बीघा 2 बिस्वा भूमि अविभक्त थी व संयुक्त हिन्दू परिवार की होने से स्व लूणकरण के वारिसान को अविभक्त भूमि की एक एक इंच भूमि पर हक अधिकार प्राप्त थे। इसलिए स्व. लूणाराम की वारिसान प्रथमतः पत्नि मोहनी हुई व पुत्र हनुमानराम व रामूराम हुआ और खसरा नम्बर 88 व खसरा नम्बर 4 ग्राम पंचौडी की 105 बीघा 2 बिस्वा भूमि का 1/3 व 1/3 हिस्सों के तीनों वारिसानों का हुआ और इस 1/3 अविभक्त हिस्से को हर तरह से उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार तीनों वारिसान व उतराधिकारियों को प्राप्त था और इतनी ही भूमि पर संयुक्त रूप से स्व. लूणकरण की पत्नी मोहनी उर्फ मूमल भी 35 बीघा पर काश्त करती थी खेत में ही बनी रहवासी ढाणियों में रहती थी कभी कभी हडमानराम तो कभी जेठामल के साथ रहने चली जाती । भूमि का पारिवारिक विवादों के चलते विभाजन नहीं हो सका और खसरा नम्बर 88 व 4 की भूमि संयुक्त परिवार की अविभक्त भूमि के रूप में चलती रही स्व. लूणाकरण की पत्नी मोहनी उर्फ मूमल ने

कलक्टर, नागौर

वृद्धावस्था के कारण वर्ष 2011 में अपने हक अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने अविभक्त हिस्से को दिनांक 21.07.2011 को पुत्रवधु सोनी देवी पत्नि हनुमानराम के पक्ष में वसीयत कर दी जो वसीयत पहली व अन्तिम वसीयत थी।

खसरा नम्बर 88 व ग्राम पांचौडी की रकबा 105 बीघा 2 बिस्वा भूमि में सें 1/3 हिस्सा यानि 35 बीघा भूमि मोहनी उर्फ मूमल पत्नि स्व. लूणकरण को हर तरफ से अविभक्त हिस्सा होने से भी हर प्रकार से उपयोग, उपभोग करने का पूर्ण अधिकार था। इसलिए इस 1/3 हिस्से से स्व. लूणकरण की पत्नि स्व. मोहनी उर्फ मूमल को किसी भी कानून के तहत् अविभक्त हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता था। अविभक्त 1/3 हिस्से से स्व. मोहनी को कभी भी अपने हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता था और न कभी 1/3 हिस्से से स्व. मोहनी को वंचित रखने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कभी कोई कार्यवाही नहीं की न वसीयत को रद्ध करवाने की कार्यवाही की स्व. मोहनी उर्फ मूमल पत्नि स्व. लूणाकरण जी उर्फ लूणाराम की पत्नि ने अपनी वृद्धावस्था में मद्देनजर व अपनी पुत्र वधु सोनी देवी की सेवा चाकरी से खुश होकर दिनांक 21.07.2011 को सोनी देवी के हक में वसीयतनामा अपने अविभक्त खेत खातेदारी खसरा नम्बर 4 व 88 की 1/3 हिस्से की 35 बीघा 4 बिस्वा भूमि हक अधिकार हिस्से की होने से सोनी देवी को वसीयत कर दी जो कानूनी रूप से सोनी देवी के हक में आज दिन तक वैध है और प्रतिवादीगण इस वसीयतनामा से इंकार नहीं कर सकते व बाध्य है। स्व. मोहनी उर्फ मूमल का निधन दिनांक 19.01.2017 को हो गया।

स्व. लूणाकरण के निधन के बाद प्रथमतः उनकी पत्नि मोहनी उर्फ मूमल दूसरा पुत्र हडमान राम व तीसरा वारिसान पुत्र रामूराम जिसके निधन से उसका पुत्र जेठमल उर्फ जेठाराम व पुत्री भंवरी वारिसान उतराधिकारी हुए रामूराम की पत्नि का भी निधन हो चुका इसलिए अन्य कोई हक अधिकार स्व लूणकरण की चल, अचल सम्पति खेताय भूमि के मात्र यही एक एक इंच के हक उपयोग, उपभोग के अधिकारी थे स्व. मोहनी उर्फ मूमल का वृद्धावस्था पेंशन आदेश, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र नम्बर आरजे/25/191/225426 आधार कार्ड पहचान प्राधिकरण नम्बर 882566221031 परिवार राशन कार्ड संख्या 00938 जेठमल उर्फ जेठाराम पुत्र रामूराम का परिवार राशनकार्ड संख्या 311 की प्रमाणित प्रति भी वाद के साथ पेश की है, जो वाद का ही हिस्सा है। प्रतिवादीगण 1 ने स्व. मोहनी के निधन के बाद आश्वासन दिया कि जब भी अपने अपने हिस्से की अविभक्त भूमि को नाम करवायेगें तब इस वसीयत हिस्से की भूमि को अपीलांट के नाम करवा देगें, जो नहीं करवायी। प्रतिवादी संख्या 1 ने सारी मिलावट कर अपीलांट को धोखे में रखकर खसरा नम्बर 4 व 88 की 52 बीघा 15 बिस्वा भूमि अकेले के नाम करवा ली, जो विधि विरूद्ध है। क्योंकि खसरा नम्बर 4 व 88 की कुल 105 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्व. लूणाकरण की हनुमान पुत्र लूणाराम के नाम दर्ज हुई जो इसलिए 1/3 हिस्सा ही रामूराम का बनता जो 35 बीघा 1 बिस्वा होता है जो इस हिस्से से अधिक का हिस्सेदार रामूराम के वारिसान प्राप्त करने के अधिकारी ही नहीं थे और 1/3 हिस्सा 35 बीघा 1 बिस्वा हनुमान राम का ही बनता तथा 1/3 हिस्सा स्व. मोहनी उर्फ मूमल का होने से वह हकदार थी और सोनी देवी के पक्ष में लिखी गई वसीयत में

कोई संदेह भी नहीं था हल्का पटवारी पांचौडी ने रेस्पोडेन्ट से मिलावटकर वसीयत को दरकिनार कर गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का नामान्तरकरण गलत रूप से भर दिया अपीलांट का कब्जा भी भूमि पर कायम है और वसीयत की गई एक एक इंच पर अपीलांट का हक व अधिकार है अपीलांट नामान्तरकरण सांख्या 1572 निरस्त करवाने की अधिकारी है स्व. मोहनी उर्फ मूमल पत्नि स्व. लूणकरण के निधन के बाद हल्का पटवारी व तहसीलदार ने भी अपीलांट के हक में तकमील की गई वसीयत की अनदेखी कर अपीलांट को सूचना दिये बिना वह बिना सुने रेस्पो. के नाम सम्पूर्ण भूमि दर्ज कर दी तथा अपीलांट को हक अधिकारों से वंचित रखने के लिए रेस्पो. संख्या 1 ने गत दिनों 10 बीघा भूमि भी बेचान कर दी जिससे अपीलांट के हित अधिकार हक प्रभावित हुए है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 16.12.2017 को धमकियां देकर कब्जा छोडने व कब्जा करने पर आमादा होने पर अपीलांट को विवश होकर नामान्तरकरण व जमाबंदी की नकल निकलवाने पर पता चला की हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने नामान्तरकण भरने के आदेश दिये जो गलत होने से खारिज करवाने के लिए अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

तहसीलदार खींवसर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने नामान्तरकरण माफिक रिपोर्ट स्वीकृत कर नामान्तरकरण भरने के आदेश दिये वो गलत निरंकुश मनमर्जी से निष्कर्ष निकाल अपीलांट की आपत्ति को नजरअंदाज कर मनमाने एक तरफा व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलावट कर केवल हल्का पटवारी पांचौडी द्वारा साधारण टिप्पणी व आंकन आधार पर नामान्तरकरण भरने की स्वीकृति दी जो विधि प्रति कूल होने व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने नामान्तरकरण भरने के आदेश वक्त गौर मनन चिंतन नहीं किया और नामान्तरकरण संख्या 1572 खारिज योग्य है। अपीलांट ने तहसीलदार खींवसर व पटवारी हल्का पांचौडी को अपने पक्ष में लिखे गये वसीयत नामा की प्रति व आवेदन पेश किया लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं कि अपीलांट ने वसीयत घोषित करवाने का वाद भी सिविल जज नागौर में पेश कर रखा है अपीलांट अनपढ ग्रामीण परिवेश की महिला होने जानकारी के अभाव में उसे ज्ञान नहीं था की नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील करनी पडती है अब वकीलों से राय लेने पर व दिनांक 17.12.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कब्जा हटाने की धमकी पर नकल निकलवाई जो दिनांक 22.12.2017 को उसे मिली दिनांक 23.12.2017 को शनिवार को अवकाश दिनांक 24.12.2017 को रविवार अवकाश, दिनांक 25.12.2017 को क्रिशमिशडे अवकाश तथा दो दिन अपील तैयार करवाने में लग गये इसलिए दिनांक 27.12.2017 को यह अपील पेश की है। अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1572 ग्राम पांचौडी का रद्ध किया जावें।

अपीलांट स्व. लूणकरण की पत्नि होने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत् स्व. लूणकरण की एक एक इंच की भूमि की अपने हिस्से तक की हकदार थी इसलिए अपीलांट को लूणकरण की पत्नि स्व. मोहनी उर्फ मूमल द्वारा की गई वसीयत वैध होने से 1/3 हिस्सा ग्राम पांचौडी के खसरा नम्बर 88 की व खसरा नम्बर 4 की हकदार अब अपीलांट है और रेस्पो. संख्या 3 द्वारा नामान्तरकरण में उसका नाम दर्ज किया जाना

था लेकिन उसकी अनदेखी करने से अपीलांट को यह अपील नामान्तरकरण संख्या 1572 रद्द कराने कि यह अपील पेश की है। अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 तहसीलदार खींवसर ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया न पेश दस्तावेजो पर गौर चिंतन मनन नहीं किया जो अति आवश्यक था न रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने स्वविवेक काम में लिया न उसके अमल किया जिससे अपीलांट के हक अधिकारों के हितों पर बुरा असर पडा है नामान्तरकरण संख्या 1572 विधि प्रतिकूल अवैध व शून्य होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का आदेश दिनांक 13.06.2017 नामान्तरकरण संख्या 1572 केवल पटवारी हल्का पांचौडी की सरसरी टिप्पणी बिना जांच सहीं तथ्यों के अभाव व वारिसान उतराधिकारियों की सही जानकारी दर्ज नहीं किये जाने से नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करत हुऐ अपीलांट की अपील स्वीकार कर ग्राम पांचौडी के नामान्तरकरण संख्या 1572 दिनांक 13.06.2017 को पारित भरा गया जैर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की हस्तगत प्रकरण में म्यूटेशन जैर अपील न्यायालय के निर्णय की पालना में भरा गया है, जो विधि सम्मत है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री कन्हैयालाल सुथार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए स्वंय की बहस में कथन किया की हस्तगत प्रकरण में म्यूटेशन जैर अपील न्यायालय सहायक कलक्टर खींवसर के राजस्व प्रा.पत्र संख्या 238/2010 निर्णय दिनांक 15.07.2016 एवं डिक्री राजस्व वाद संख्या 167/2014 दिनांक 9.9.2016 की अनुपालना में तहसीलदार पांचोड़ी द्वारा भरा गया, जिस पर उक्त म्यूटेशन पर भू अभिलेख निरीक्षक पांचोड़ी ने जॉच की अकंन सही है अंकित किया जिस पर उक्त म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत किया गया है। न्यायालय के निर्णय/डिक्री की पालना स्वीकृत किये गये म्यूटेशन आदेश जब तक उक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री को अन्य किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक उक्त म्यूटेशन जैर अपील निरस्त नहीं किया जा सकता है। वकील अपीलान्ट ने उक्त निर्णय एवं डिक्री को अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त करने का कोई निर्णय एवं आदेश प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए अपीलान्ट की अपील सारहीन होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 238/2010 जेठमल बनाम हड़मान वगैरह में न्यायालय सहायक कलक्टर खींवसर के आदेश दिनांक 15.07.2016 राजस्व वाद संख्या 167/2014 न्यायालय सहायक कलक्टर खींवसर द्वारा जारी डिगरी दिनांक 09.09.2016 की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत किया गया है, जो विधि अनुसार सही है। ऐसे निर्णय एवं डिगरी की पालना में स्वीकृत किये गये म्यूटेशन को कब तक निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक की ऐसे निर्णय

एवं डिगरी को किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया गया हो। वकील अपीलान्ट ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे की यह साबित हो की हस्तगत प्रकरण में जिस निर्णय एवं डिगरी की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत किया गया है, उस निर्णय एवं डिगरी को किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम म्यूटेशन स्वीकृत करने का आदेश दिया गया हो। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत करने में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर को उनका मूल म्यूटेशन मय संबंधित दस्तावेजात की प्रतियां लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

जिला कलक्टर न्यायालय नागौर (राजस्थान)

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर